

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज  
अपील 02/2024  
चन्द्रपाल वगै. वनाग कैलाशदान वगै.

नम्बर व तारीख  
अहकाम  
जो इस हुक्म की  
तामील में जारी  
हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी वाङ्मेर  
पीठारसीन अधिकारी अजीतरिंह राजायत आर ए एस

### आदेश

उपस्थिति


दिनांक 29.08.2024

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री सोनाराम चौधरी
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 13 के अधिवक्ता वावजूद सूचना अनुपस्थित।


अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधिवक्ता अपीलांट पूर्व में अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पायें और मोबाईल पर उक्त सूचना देने पर 01.00 बजे अधिवक्ता अपीलांट माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए तो अपीलांट अधिवक्ता को ज्ञात हुआ कि माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की व्यतीक्रम में खारिज कर दी गई है। अपीलांट का उक्त अपील में महत्वपूर्ण अधिकार है और अपीलांट अधिवक्ता जानबुझकर पुकार होने पर माननीय न्यायालय में अनुपस्थित नहीं रहे है अपितु वे अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में पुकार होने पर उपस्थित नहीं हो पायें और अधिवक्ता अपीलांट की अनुपस्थिति का माकूल कारण है। उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 व 03 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस की अपील को पुनः नंबर पर दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थना-पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
वाङ्मेर

आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजगी है। लिहाजा अपीलांट का आवेदन अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ़तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 29.08.2024 को सुनाया गया।

  
रा (अजीतसिंह राजावत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर